प्रकाशनार्थ / प्रसारणार्थ

जीएसटी पूर्व के विवादित मामलों की एकमुश्त समाधान

योजना की अवधि तीन माह आगे बढ़ी– उपमुख्यमंत्री

पटना 24.03.2020

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति में लॉकडाउन के कारण जीएसटी पूर्व के बकाए कर के विवादित मामलों के निपटारे के लिए लायी गई 'एकमुश्त समाधान योजना' की अवधि तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। 15 जनवरी से शुरू इस योजना के अन्तर्गत करदाताओं को विवादित कर राशि का 35 और ब्याज व दंड का मात्र 10 प्रतिशत जमा करना था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च तय की गई थी।

इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 23,965 करदाताओं ने आवेदन दिया था जिसमें 604.84 करोड़ की विवादित जिसमें 155.06 करोड़ सेटलमेंट की राशि भी सन्निहित है। प्राप्त आवेदनों में से अभी तक कुल 6080 मामले निष्पादित हुए जिससे 20 करोड़ की राशि जमा हुई है। बकाए कर की राशि में से 59.66 करोड़ पहले ही प्राप्त हो चुकी है, 75 करोड़ की बकाया राशि की वसूल किया जाना है।

ज्ञातव्य है कि 01 जुलाई, 2017 से जब जीएसटी लागू की गई तो उसके पूर्व के वैट, प्रवेश कर, लक्जरी टैक्स व मनोरंजन कर आदि करीब आधे दर्जन अधिनियमों को उसी में समाहित कर दिया गया। मगर वैट के दौर के बकाए करों के विवाद का निपटारा नहीं हो सका। उसी के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई गई हैं।